

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 1970/चैत्र 11, 1892

No. 70]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 1970/CHAITRA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st April 1970

G.S.R. 182.—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India, the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 184, dated the 1st February, 1970, the Central Government hereby determines that for the purposes of sections 14 and 15 of the said Act, the rates of exchange for conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of the Schedule below into Indian currency or *vice versa* shall be the rate mentioned against it in column (3) thereof.

THE SCHEDULE

S. No.	Foreign currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100/—
1	2	3
1.	Australian Dollars	11.80
2.	Austrian Schillings	340
3.	Belgian Francs	654
4.	Canadian Dollars	14.16
5.	Danish Kroners	99.10
6.	Dutch Guilders	47.88
7.	Deutsche Marks	48.60
8.	French Francs	73.30
9.	Hongkong Dollars	80.00
10.	Italian Lire	8303
11.	Japanese Yen	4707
12.	Malaysia Dollars	40.37
13.	Norwegian Kroners	94.47
14.	Pound Sterling	5.528
15.	Singapore Dollars	40.37
16.	Swedish Kroners	68.35
17.	Swiss Francs	56.88
18.	U.S.A. Dollars	13.23

[No. 42/F. No. 15/3/70-Cus. VI]

J. DATTA, Dy. Secy.

Division 100	वित्त मंत्रालय
Account 1108	(राजस्व और बीमा विभाग)
Date of Receipt 8-11-77	अधिसूचना
Call 1	सीमा शुल्क
Processed	Checked
Date of Transfer	नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1970

सां. कां. निं. संख्या 582 :—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1960 की 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खण्ड (क) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या सां. कां. निं. 102 तारीख 1 फरवरी, 1970 को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह अवधारित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिर्णय की दरे वे होंगी जो उसके सामने उसके स्तम्भ (3) में वर्णित हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	विदेशी करेंसी	100 रु० के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनिमय दर
(1)	(2)	(3)
1. आस्ट्रेलियाई डालर	.	11.80
2. आस्ट्रियाई शिलिंग	.	340
3. बैल्जियम के फ्रैंक	.	654
4. कनाडा के डालर	.	14.16
5. डेनमार्क के क्रोनर]	.	99.10
6. डच गिल्डर	.	47.88
7. जर्मन (डूल्डो) मार्क]	.	48.60
8. फ्रांस के फ्रैंक	.	73.30
9. हांगकांग के डालर	.	80.00
10. इतालवी लीरा	.	8303
11. जापानी येन	.	4707
12. मलेशियाई डालर	.	40.37
13. नार्वे के क्रोनर	.	94.47
14. पौण्ड स्टर्लिंग	.	5.528
15. सिंगापुर डालर	.	40.37
16. स्वीडन के क्रोनर	.	68.35
17. स्विटजर लैण्ड के फ्रैंक	.	56.88
18. संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर	.	13.23

[सं० 42/का० सं० 15/3/70—कस०—VI]

ज्योतिर्मय दत्त, उपसचिव ।

